न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 57/2019 दायर तारीख 11.04.2019

अनवान

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..........प्रार्थी

बनाम

01. शम्भुलाल पिता बालु जाति धाकड़ निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा वगैरह।
02. कृष्णा पत्नि बद्रीप्रसाद गुरूजी निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा वगैरह।

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– पैरोकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 19.06.2019

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरोकार तहसीलदार बिजौलियां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नयानगर पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलियां के आराजी नम्बर 1382/124 रकबा 2–00 बीघा, आराजी नम्बर 1359/124 रकबा 6–00 बीघा कुल किता 2 रकबा 8–00 बीघा भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी नम्बर 1382/124 रकबा 2–00 बीघा, आराजी नम्बर 1359/124 रकबा 6–00 बीघा कुल किता 2 रकबा 8–00 बीघा दर्ज रेकॉर्ड नक्शा लट्ठा में आराजी नम्बर अंकित नही होने से सुनवाई की जाकर नक्शा लट्ठा में तरमीम करना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षी शम्भुलाल उपस्थित जिसने फर्द अहकाम पर अंकित किया कि हमे भील बाउन्ड्री की तरफ तरमीम की जावें। शेष विपक्षीगण गैर हाजिर एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं।

मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने में विपक्षी शम्भुलाल को कोई आपति नहीं हैं एवं न हीं भविष्य में कोई आपति की जावेंगी तरमीम कराना फरमावें। चूंकि मामला मात्र नक्शे में तरमीम सम्बन्धि हैं। तरमीम को दुरूस्त करने का अधिकार राजस्व विभाग का ही हैं।

प्रकरण का DILRMP के तहत् निस्तारण किया जाना अपेक्षित हैं। अतः दर्ज भूमि के नक्शे में तरमीम किया जाना हम उचित समझते हैं।

बहस पेरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा नयानगर पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलियां के आराजी नम्बर 1382/124 रकबा 2–00 बीघा, आराजी नम्बर 1359/124 रकबा 6–00 बीघा कुल किता 2 रकबा 8–00 बीघा भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। किन्तु नक्शे में तरमीम नही होने से जहां खातेदार काबिज हैं नक्शा लट्ठा में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करने की सुनिश्चितता करें।

आदेश आज दिनांक **19.06.2019** को लिखवाया जाकर सुनवाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned by CamScanner